


अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने, उनको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जयपुर जिला मुख्यालय के लिए सामुदायिक भवन (राजस्थान आवासन मण्डल) लिबर्टी हॉस्पिटल के पीछे, थडी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर (वर्तमान स्थितिनुसार) में स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से 100 की आवासीय क्षमता (पुरुष विंग एवं महिला विंग) वाले पुनर्वास गृह की स्थापना की जानी है। राज्य सरकार उक्त योजना में भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रूचि रखने वाली पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी कर जयपुर जिला मुख्यालय के लिये प्रस्ताव आमन्त्रित करती है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा अपना आवेदन पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2020 तक जिला कलक्टर जयपुर, को प्रेषित किया जायेगा। पूर्व में यदि आवेदन किये गये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेब साईट sje.rajasthan.gov.in पर, आयुक्तालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर के कमरा नम्बर 317 द्वितीय तल तथा जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर (शहर), में सम्पर्क किया जा सकता है।


18.03.2020

(नन्मल पहाडिया)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों हेतु पुनर्वास गृह संचालन के लिये
आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नाम:
2. संस्था का स्थाई पता:
3. संस्था अध्यक्ष का नाम, पता एवं मोबाईल व ई-मेल
4. संस्था अध्यक्ष/सचिव का आधार कार्ड नम्बर
5. पंजीयन संख्या (किस अधिनियम के अन्तर्गत)
(प्रमाण पत्र, संविधान, उद्देश्य, नवीन कार्यकारिणी
के सदस्यों के नाम आदि की प्रमाणित प्रति, तथा पता)
6. भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में अनुभव के दस्तावेज
7. स्टाफ का विवरण
8. संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर
राज्य सरकार के नियमों की पालना के लिये वचनबद्धता:
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
 - I. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट,
 - II. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे,
 - III. संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार
अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची
में नहीं होने संबंधी नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र:
 - IV. संस्था का बैंक खाता विवरण:(पासबुक प्रति संलग्न भी करे):
10. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने का दस्तावेज/प्रमाण

मैंने योजना के दिशा निर्देशों को पढ़कर भलिभाँति समझ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। संस्था योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने पर वचनबद्ध है।

संस्था अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर
नाम पता/मुहर तारीख